

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०-१/पी०सी०आर०(विविध/प्र०प्र०)०९-१०/२०११-

राज्य योजना

35

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 23.08.16

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना मद से अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989, संशोधन अधिनियम-2015, नियम-1995 एवं (संशोधन) नियम-2016 तथा अनु० जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 एवं नियम-2007 के प्रावधानों के पुस्तक का प्रकाशन, वार्षिक प्रतिवेदन की पुस्तिका, विभागीय योजनाओं की हस्त पुस्तिका, प्रचार-प्रसार, होर्डिंग लगाने, नुक्कड़ नाटकों, जागरूकता शिविर एवं कार्यशाला का आयोजन हेतु ₹90,00,000/- (नब्बे लाख रु०) मात्र की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

2- स्वीकृत राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना मद में मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण- उप मुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-001-निर्देशन और प्रशासन-उप शीर्ष-0101-निर्देशन और प्रशासन-मांग सं०-44-विषय शीर्ष-2601-विज्ञापन और प्रकाशन" विपत्र कोड पी०-2225010010101 (राज्य योजना स्कीम कोड-SST- 5457) के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3- स्वीकृत राशि के आलोक में मुख्यालय एवं जिलों से मांग के अनुसार आवंटन विमुक्त किया जाएगा।

4- राज्य योजना मद से अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989, संशोधन अधिनियम-2015, नियम-1995 एवं (संशोधन) नियम-2016 तथा अनु० जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 एवं नियम-2007 के पुस्तक का प्रकाशन, वार्षिक प्रतिवेदन की पुस्तिका, योजनाओं की हस्त पुस्तिका, प्रचार-प्रसार, होर्डिंग लगाने, नुक्कड़ नाटकों, कार्यशाला का आयोजन तथा पोस्टर/पम्पलेट इत्यादि हेतु स्वीकृत राशि के लिए मुख्यालय स्तर पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उपनिदेशक (मु०) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग एवं जिला स्तर पर संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। वे राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17-4-98 एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य पत्र/परिपत्रों में निहित निर्देशों के आलोक में करेंगे।


5- इस योजना के तहत वित्तीय नियमावली के अनुसार सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति प्राप्त कर राशि का व्यय किया जाएगा।

6- जिला स्तर पर इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी एवं मुख्यालय स्तर पर निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग होंगे।

7- इस राशि की स्वीकृति आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०-१/पी०सी०आर० (विविध/प्र०प्र०)०९-१०/२०११-के पृ०- /टि०पर प्राप्त है।

8- स्वीकृत राशि योजना उद्व्यय एवं बजट उपबन्ध के अन्तर्गत है।

विश्वासभाजन


23.08.16
(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

10/11/16

40

ज्ञापांक- 1/पी0सी0आर0(विविध/प्र0प्र0)09-10/2011-35 दिनांक- 23.08.16
प्रतिलिपि- वित्त विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित उप विकास आयुक्त/सभी संबंधित प्रमंडलीय उपनिदेशक कल्याण /अवर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/ सभी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-1 डी0, 2 डी0, 3 डी0, 4 डी0, 5 डी0, 6 डी0/सांख्यिकी शाखा, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा(दोहरी प्रति में)/बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।
23.8.16

ज्ञापांक- 1/पी0सी0आर0(विविध/प्र0प्र0)09-10/2011-35 दिनांक- 23.08.16
प्रतिलिपि- सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।
23.8.16

ज्ञापांक- 1/पी0सी0आर0(विविध/प्र0प्र0)09-10/2011-35 दिनांक- 23.08.16
प्रतिलिपि- आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को विभागीय वेब साईट (Web site) पर जारी करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।
23.8.16

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]